

एम/एस टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड।

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य

30 मार्च, 2005

[बी. पी. सिंह और एस. बी. सिन्हा, जे. जे.]

बिहार वित्त अधिनियम, 1981:

धारा 22, 23 और 13(1)(बी)-झारखंड औद्योगिक नीति 2001-अधिसूचना संख्या 65, 66 और 67 दिनांकित 12.1.2002-की व्याख्या-सेट ऑफ की सुविधाएँ और अंतर-राज्य बिक्री, अंतर-राज्य बिक्री और रियायती दर पर समायोजन कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर-हॉट रोल्लड मिल और कोल्ड रोलिंग मिल के माध्यम से इस्पात का उत्पादन करने वाला निर्धारिती-दिनांकित 12.1.2002 की अधिसूचनाओं के तहत छूट का दावा करते हुए-अवधारित किया गया, क्योंकि हॉट रोल्लड मिल और कोल्ड रोलिंग मिल दोनों मौजूदा इकाइयाँ हैं, जिनमें से एक ने, एक अलग नीति के तहत लाभ प्राप्त किया है, निर्धारिती अधिसूचना संख्या 65, 66 और 67 दिनांकित 12.1.2002 के संदर्भ में किसी और राहत का हकदार नहीं है।-बिहार औद्योगिक नीति 1991-अधिसूचना संख्या 478 और 479 दिनांकित 22.12.1995-कानूनों की व्याख्या-प्रशासनिक कानून-वचन निषेध-की प्रयोज्यता

निर्धारिती-अपीलार्थी, जो अपनी हॉट रोल्लड मिल (एच. आर. एम.) के माध्यम से इस्पात का निर्माता है, को बिहार राज्य में स्थित अपनी मौजूदा औद्योगिक इकाई के विस्तार के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था, जो झारखंड राज्य के निर्माण के बाद उसके अंतर्गत आया था। बिहार सरकार की औद्योगिक नीति, 1995 के तहत दो अधिसूचना संख्याएँ 478 और 479 दिनांकित 22-12-1995 जारी की गयी थी, जिसमें इकाइयों द्वारा निर्मित कुछ वस्तुओं/विस्तारित/विविध/आधुनिकीकृत की बिक्री की खरीद पर कर के संबंध में डीलरों को छूट दी गयी थी। निर्धारिती, अधिसूचनाओं के अनुसार, अपने उत्पाद, अर्थात्, बिक्री योग्य इस्पात, का विविधीकरण एक शीत इस्पात प्रणाली की स्थापना करके करता है। रोलिंग मिल (सी. आर. एम) झारखंड राज्य के निर्माण और 1981 के अधिनियम के उक्त राज्य में विस्तार पर, निर्धारिती ने अधिसूचना संख्या 478 और 479 दिनांकित 22.12.1995 के लाभ का दावा किया। निर्धारिती के दावे को अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस बीच झारखंड राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति 2001 घोषित की और अधिसूचना संख्या 65, 66 और 67 दिनांकित 12.1.2002, अंतर-राज्यीय बिक्री, अंतर-राज्यीय बिक्री पर सेट ऑफ और समायोजन की सुविधा प्रदान करना और नए औद्योगिक के संबंध में विक्रेताओं को कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर की रियायती दर प्रदान करने हेतु जारी की।

निर्धारिती ने अपनी मौजूदा इकाई के संबंध में, अर्थात् एच. आर. एम. के लिए पात्रता प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया, जिसे खारिज कर दिया गया था, और अंततः उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि समग्र रूप से निर्धारिती, जिसमें सी. आर. पी. में इसका विविधीकरण भी शामिल है, एक मौजूदा इकाई थी, लेकिन चूंकि सी. आर. पी. के संबंध में मुकदमा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित था, इसलिए इस आधार पर औद्योगिक

नीति, 2001 के तहत एक नया दावा करने के लिए निर्धारिती को अनुमति देते हुए मामला हटा दिया गया था। यदि यह सी. आर. पी. के संबंध में 1995 की नीति के लाभ का हकदार नहीं पाया जाता है, तो यह झारखंड राज्य की 2001 की नीति के तहत लाभ का दावा करने में सक्षम होगा। इससे व्यथित होकर, निर्धारिती ने वर्तमान अपील दायर की।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

अवधारित किया कि 1.1 अपीलकर्ता ने नए औद्योगिक लाइसेंस के संदर्भ में अपनी कोल्ड रोलड मिल शुरू की। इसे एकीकृत इस्पात संयंत्र में कोल्ड रोलड/गैल्वनाइज्ड/कोटेड/नालीदार/पेंटेड/वार्निशड स्टील शीट/स्ट्रिप्स/कॉइल्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा 9.11.1998 को एक नया औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, वह बिहार औद्योगिक नीति के अनुसार कच्चे माल की खरीद पर भुगतान किए गए कर से मुजरा और/या समायोजन के लाभ का हकदार बन गया, जो 5 वर्षों के लिए लागू था। 1 सितंबर 1995 से। चूंकि हॉट रोलड मिल और कोल्ड रोलड मिल दोनों मौजूदा इकाइयाँ हैं, और उनमें से एक को एक अलग नीति के तहत लाभ प्राप्त हुआ है, अपीलकर्ता दिनांकित अधिसूचनाओं के

संदर्भ में किसी और राहत के हकदार नहीं हैं। 12 जनवरी 2002.[1223 - ई-जी; 1232-बी-सी]

* एम/एस टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य, (2004) 7 242 , संदर्भित किया गया।

1.2 . झारखंड सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 25.8.2001 को घोषित की है, जिसकी प्रभावी तिथि 15 नवंबर रखी गयी व उक्त नीति 15 नवंबर, 2000 से लागू की गई थी। अपीलकर्ता की कोल्ड रोलड मिल भी इस प्रकार, हॉट रोलड मिल, झारखंड राज्य नीति के अर्थ के तहत मौजूदा इकाइयाँ हैं, जिसके अनुसार यदि एक नीति के तहत लाभ दिया जाता है, तो कोई अन्य लाभ उपलब्ध नहीं होगा। [1223 - जी-एच; 1224-ए]

2.1 . इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता, एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में, 1981 अधिनियम के अर्थ के तहत एक निर्धारिती या डीलर है; और, इस प्रकार, उसे न केवल स्वयं को इस रूप में पंजीकृत कराना आवश्यक था, बल्कि उसके संबंध में एक एकल रिटर्न दाखिल करना भी आवश्यक था, जिसके मूल्यांकन का एक आदेश हो सकता है; लेकिन हमारी राय में, यह किसी निर्धारिती को उसकी नई औद्योगिक इकाइयाँ और उसकी मौजूदा इकाइयाँ दोनों के संबंध में अलग-अलग कर छूट और/या अन्य कर लाभ का दावा करने से नहीं रोकता है। औद्योगिक नीति इसकी अनुमति देती है।[1224 - सी-डी]

2.2 . कानून के प्रावधानों को उसके पाठ और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एक अर्थ दिया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, यह मानना संभव है कि अपीलकर्ता की कोल्ड रोलिंग मिल और उसकी हॉट रोलिंग मिल को अलग-अलग औद्योगिक परियोजनाओं के रूप में माना जाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति मौजूद है या एक ही या अलग-अलग अधिसूचनाओं के तहत अलग-अलग इकाइयाँ को अलग-अलग वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, तो एक निर्धारिती के लिए अलग-अलग शीर्षों के तहत अलग-अलग छूट का दावा करना भी संभव हो सकता है। केवल इसलिए कि अपीलकर्ता एक डीलर है, यह अपने आप में उसे राजकोषीय लाभ से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि वह अन्यथा इसका हकदार है। उच्च न्यायालय से द्वारा यह सही अवधारित नहीं किया गया कि नहीं

हैं अभिव्यक्ति "औद्योगिक इकाई" या "मौजूदा इकाई" का उपयोग सामान्य अर्थ में उद्योग को उसकी संपूर्णता में इंगित करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उसके प्रत्येक घटक को। [1225 - एफ-एच; 1226-ए]

3.1 . इस तथ्य के बावजूद कि 1981 अधिनियम की धारा 22, 23 और साथ ही 13(1)(बी) एक डीलर को संदर्भित करती है और धारा 14 उसकी गतिविधियों के संबंध में रिटर्न दाखिल करने को अनिवार्य करने वाले डीलर के पंजीकरण को संदर्भित करती है, ऐसा नहीं होगा इसका मतलब यह है कि राज्य एक ही निर्धारित की विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाली विभिन्न इकाइयों को समान या अलग-अलग लाभ नहीं दे सकता है। राज्य के पास न केवल छूट देने की शक्ति है, बल्कि किसी वर्ग या वस्तुओं के विवरण से संबंधित ऐसे अनुदान को निर्देशित करने की भी शक्ति है। यदि राज्य के पास अधिसूचना जारी करने की शक्ति है, तो उसे उसमें संशोधन करने, बदलाव करने या रद्द करने की भी शक्ति है और अवसर आने पर समय-समय पर ऐसी शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। [1226 - ए-सी. आई.]

3.2 . हालाँकि, विचाराधीन अधिसूचनाएँ छूट अधिसूचनाएँ नहीं हैं। वे कर के मुजरा या समायोजन का प्रावधान करते हैं। 1981 अधिनियम के अनुसार एक डीलर पर कर लगाया जाना चाहिए, लेकिन उसे कुछ वस्तुओं के संबंध में छूट दी जा सकती है या किसी नए या मौजूदा उद्योग में निर्मित उसके विशेष उत्पादों के संबंध में समायोजन या समायोजन किया जा सकता है। एक या अधिक उत्पादों के संबंध में या एक या अधिक इकाइयों के संबंध में धारा 22 या 23 के तहत अधिसूचना जारी की जा सकती है। हालाँकि, कोई डीलर यूनिट-वार सेट-ऑफ के लाभ का हकदार होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिसूचनाएँ किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती हैं। कानून की अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सीमाएं या प्रतिबंध निर्धारित करे जब कोई न हो या इसके विपरीत। [1226 - सी-ई]

3.3 . खंड 5 एक प्रतिबंध लगाता है जबकि मौजूदा तारीख को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मौजूदा इकाइयों के लिए सेट ऑफ की सुविधा केवल उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी जो प्रभावी तिथि से पहले घोषित किसी भी अधिसूचना के तहत कर कटौती या कर मुक्त खरीद या कर मुक्त बिक्री जैसी किसी सुविधा का लाभ नहीं उठा रही हैं। [1226 - जी-एच; 1227-एजे]

3.4. अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी, 2002, हालांकि कर लाभ को नई इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों तक भी बढ़ाती है, लेकिन इसमें इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि लाभ का अनुदान मौजूदा इकाइयों को अलग करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, भले ही वे उत्पादन कर रहे हों समान लेकिन तकनीकी रूप से भिन्न उत्पाद। निर्मित वस्तु बिक्री योग्य स्टील है। सीआरएम और एचआरएम से निर्मित स्टील की गुणवत्ता में अंतर हो सकता है, लेकिन झारखंड औद्योगिक नीति के लागू होने की तिथि और 1981 अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार सीआरएम और एचआरएम दोनों मौजूदा इकाइयां थीं, उनमें से उसके प्रत्येक को लाभ नहीं मिल सकता है। [1227 - ए-बी]

आयुक्त, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश बनाम डी. एस. एम. उद्योग समूह, [2005] 1 एससीसी 657, विशिष्ट

कपड़ा मशीनरी निगम लिमिटेड, कलकत्ता बनाम आयुक्त आयकर विभाग, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, [1977] 2 एस. सी. सी. 368; नगर आयुक्त, चिंचवाड़ न्यू टाउनशिप नगर परिषद बनाम सेंचुरी एनका लिमिटेड, [1995] 6 एस. सी. सी. 152 आयकर आयुक्त, अमृतसर बनाम स्ट्रॉ बोर्ड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, [1989] सपा 2 एससीसी 523; बजाज टेंपो लिमिटेड, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी-III, बॉम्बे [1992] 3 एस. सी. सी. 78 और बिक्री कर आयुक्त बनाम औद्योगिक कोयला उद्यम, [1999] 2 एस. सी. सी. 607, लागू नहीं हुआ।

पप्पु मिठाइयां और बिस्किटे और अन्य बनाम व्यापार कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ, [1998] 7 एस. सी. सी. 228, उद्धृत।

4. पात्रता खंड, यह अच्छी तरह से तय है, छूट अधिसूचना के संबंध में एक सख्त अर्थ दिया जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि राजकोषीय कानून का प्रावधान अस्पष्ट होने की स्थिति में ऐसे निर्माण जो निर्धारिती के पक्ष में हैं, को अपनाया जा सकता है, लेकिन छूट अधिसूचना के निर्माण के लिए इसका कोई आवेदन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामले में यह निर्धारिती को दिखाना है कि वह छूट के दायरे में आता है। 1229 – ए-सी]

सीमा शुल्क कलेक्टर, बंगलोर और अन्य बनाम एमएलएस मेस्ट्रो मोटर्स लिमिटेड और एन. आर. , (2004) 10 स्केल 253; नोवोपैन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के कलेक्टर, हैदराबाद [1994] सप। 3 एस. सी. सी. 606; राज्य स्तरीय समिति और अन्न. वी. मोरगार्डशमर इंडिया लिमिटेड, [1996] 1 एस. सी. सी. 108; टाटा आयरन और स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम। एम. पी. वी. और इंग. उद्योग, (2003) 5 एस. सी. सी. 333, संदर्भित।

5. यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां अपीलकर्ता ने राज्य द्वारा उससे किए गए वादे के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति बदल दी है। इसलिए, वचनबंधन का सिद्धांत लागू नहीं है। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू किया जा सके। हालाँकि, हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि वचनबंधन का सिद्धांत वहां लागू होगा जहां राज्य द्वारा किसी वस्तु को कर योग्य वस्तु के रूप में छूट देने या समाप्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिनिधित्व किया गया है। हालाँकि, ऐसा वादा उन व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके पास प्रतिनिधित्व को लागू करने की शक्ति है। [1231 – ई-एफ]

हीरा टिकू बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य, [2004] 6 एससीसी 765 , संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1912 सन 2004

झारखंड उच्च न्यायालय के रांची में अदालत द्वारा डब्ल्यू. पी.(टी) 2003 संन 2003 के निर्णय और आदेश दिनांकित 12.8.2003 से

के साथ

सी. ए. सं. 2269/ 2005

गौरव बनर्जी, सौरव अग्रवाल और एम. के. दुआ उनके साथ सी. ए. संख्या 1912/2004 में अपीलार्थी।

सी. ए. नं. 2269/ 2005 में अपीलार्थी के लिए पुनीत दत्त त्यागी और एस. बी. दीक्षित। .

उनके साथ सुनील गुप्ता, गोपाल प्रसाद, प्रताप कालरा और विवेक विश्रोई उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया, द्वारा एस. बी. सिन्हा, जे. एस. एल. पी.(सी) सं. 15419 सन 2004 में अनुमति दी गई। की।

झारखंड औद्योगिक नीति, 2001 के अनुसार झारखंड राज्य द्वारा जारी 12 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या 65, 66 और 67 की व्याख्या और आवेदन इन अपीलों में हमारे विचार के लिए है जो निर्णयों

और आदेशों से उत्पन्न होती है। दिनांक 12.8.2003 और 16.3.2004 को झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को कुछ निर्देशों के साथ निपटाया गया था।

पृष्ठभूमि तथ्य:

मामले का तथ्य सिविल अपील क्रमांक 1912 सन् 2004 से संज्ञान में आ रहा है।

अपीलकर्ता, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक मौजूदा कंपनी, 17.4 लाख टन की उत्पादन क्षमता वाली बिक्री योग्य स्टील और अन्य मिश्र धातु उत्पादों का निर्माता है। यह हर भौतिक समय में अपने हॉट रोलड मिल (एचआरएम) के माध्यम से स्टील का उत्पादन कर रहा था और अभी भी कर रहा है। यह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (1981 अधिनियम) दोनों के तहत एक डीलर के रूप में पंजीकृत है। इसे प्रति वर्ष 21 लाख टन तक स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर स्थित अपनी मौजूदा औद्योगिक इकाई के विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था।

नई औद्योगिक इकाई के लिए दावा की गई छूट:

बिहार सरकार ने वर्ष 1995 में एक औद्योगिक नीति जारी की थी। इसे प्रभावी बनाने की दृष्टि से इसने धारा 7(3)(बी) के तहत डीलरों को छूट प्रदान करते हुए दिनांक 22.12.1995 संख्या 478 और 479 वाली दो अधिसूचनाएं जारी कीं। नई/विस्तारित/विविधकृत/आधुनिकीकृत इकाइयों द्वारा निर्मित कुछ वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर कर के संबंध में 1981 अधिनियम के उक्त औद्योगिक नीति के अनुसरण में या उसके अनुसार जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना करके अपने उत्पाद - बिक्री योग्य स्टील का विविधीकरण किया। 10.1.1998 को या इसके आसपास, बिहार सरकार ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता 'अपने संयंत्र में विविधता लाने जा रहा था।' बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार, झारखंड राज्य का गठन किया गया था। 15.11.2000, जिसके परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ, 1981 अधिनियम को झारखंड राज्य तक विस्तारित किया गया।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 478 और 479 दिनांक 22.12.1995 के लाभों का दावा किया, जिसके बाद दिनांक 16.12.2000 के एक आदेश द्वारा उसके कोल्ड रोलड उत्पाद (सीआरपी) के संबंध में छूट का लाभ 'विविध क्षमता' मानते हुए प्रदान किया गया था। एक नई इकाई. हालाँकि, इस तरह की छूट को वाणिज्यिक कर आयुक्त ने संशोधन की अपनी स्वतः प्रेरणा शक्ति का प्रयोग करते हुए यह कहते हुए वापस ले लिया था कि कोल्ड रोलड उत्पाद और हॉट रोलड उत्पाद दोनों का उल्लेख केंद्रीय धारा 14 के संदर्भ में जारी एक ही प्रविष्टि में मिलता है। बिक्री कर अधिनियम 1957, वे दावा किए गए लाभों के हकदार नहीं हैं।

व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे 2001 के सीडब्ल्यूजेसी 1426 के रूप में चिह्नित किया गया था। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने वाणिज्यिक कर आयुक्त के आदेश दिनांक 3.4.2001 को रद्द करते हुए उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया और इस प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए मामले को वाणिज्यिक कर आयुक्त के पास वापस भेज दिया गया कि क्या कोल्ड रोलड उत्पाद हॉट रोलड उत्पाद की तुलना में एक नया और विशिष्ट उत्पाद है।

उक्त आदेश से विशेष अनुमति देने के लिए अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था और अपील में अनुमति दी गई थी, मामले को 2002 के सीए संख्या 2188 के रूप में चिह्नित किया गया था। इस न्यायालय ने निर्णय और आदेश दिनांक द्वारा 25 अगस्त, 2004 [चूंकि (2004) 7 एससीसी 242 में

रिपोर्ट किया गया] ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी नई इकाई में निर्मित उत्पाद एक कोल्ड रोल्लड मिल (सीआरएम) उत्पाद है, न कि हॉट रोल्लड मिल उत्पाद यह राय थी:

"21... Based on a promise made in the industrial policy of the State of Bihar, at every stage the appellants tried to verify and confirm whether they are entitled to the benefit of exemption or not and they were assured of that exemption. It is based on these assurances that the appellant invested a huge sum of money which according to the appellant is to the tune of Rs. 2000 crores but the State says it may be to the tune of Rs. 1400 crores. Whatever may be the figure, the fact still remains that the appellants have invested huge sums of money in installing its new industrial unit. At every stage of the construction, progress and installation of the machineries, the Government/ authorities concerned were informed and at no point of time it was suspected that the new unit was going to manufacture HRM. If the process of manufacturing HRM and CRM as could be seen from the experts' opinion is totally different and the material on record also shows that the plant design for a new unit is for the purpose of manufacturing CRM. These factors coupled with the fact that at no stage of the proceedings which culminated in the judgment of the High Court, the respondent State had questioned this fact except for the technical ground taken by the Commissioner which is found to be erroneous, we find the ends of justice would not be served by remanding the matter for further inquiry."

मौजूदा औद्योगिक इकाई के लिए दावा की गई छूट:

इस बीच, झारखंड राज्य ने 15 नवंबर, 2000 से 31 मार्च, 2005 की अवधि के लिए 25.8.2001 को या की इसके आसपास अपनी औद्योगिक नीति घोषित ; पैरा 28.1 जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नई औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों के संबंध में डीलरों को सेट-ऑफ/समायोजन प्रदान किया गया है। पैरा 28.2 में सेट-ऑफ के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 2% की दर से एक समान कर दर का प्रावधान किया गया है।

उसके बाद क्रमशः धारा 22, 23 और 13(1)(बी) के संदर्भ में 12 जनवरी, 2002 की संख्या 65, 66 और गई 67 वाली तीन अधिसूचनाएँ जारी की। एसओ 65 अंतर-राज्य बिक्री पर सेट-ऑफ और समायोजन की सुविधा को संदर्भित करता है। एसओ 66 अंतरराज्यीय बिक्री को संदर्भित करता है जबकि एसओ 67 कच्चे माल और अन्य वस्तुओं की खरीद पर 2% की दर से बिक्री कर की रियायती दर का प्रावधान करता है। ऐसी सुविधा उन औद्योगिक इकाइयों को दी जानी है जो कर के समायोजन के दायरे में आती हैं।

अपीलकर्ता ने अपनी मौजूदा इकाई, अर्थात् एचआरएम के संबंध में, वाणिज्यिक कर के उपायुक्त के समक्ष पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जिसमें कहा गया था कि यह 'विभिन्न लौह और इस्पात उत्पादों और अन्य सामग्रियों के निर्माण और बिक्री गतिविधियों में लगा हुआ था।' अपीलकर्ता के उक्त आवेदन को वाणिज्यिक कर के उपायुक्त ने दिनांक 13.3.2002 के एक आदेश द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बिक्री कर कानूनों

के तहत एक पंजीकरण वाला डीलर होने के नाते, वह इसका हकदार नहीं था। उक्त आदेश की पुष्टि वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा दिनांक 25.3.2003 के एक आदेश द्वारा की गई।

इसके खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसे 2003 के डब्ल्यूपी (टी) नंबर 2003 के रूप में चिह्नित किया गया था। आक्षेपित फैसले के कारण, 13.3.2002 और 25.3.2003 के उपायुक्त द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों को रद्द करते हुए क्रमशः वाणिज्यिक कर और वाणिज्यिक कर आयुक्त, उच्च न्यायालय ने माना (हालांकि अंततः नहीं) कि अपीलकर्ता, सीआरपी में इसके विविधीकरण सहित, एक मौजूदा इकाई है, लेकिन चूंकि सीआरपी के संबंध में मुकदमा इस न्यायालय के समक्ष लंबित था। मामले को अपीलकर्ता को औद्योगिक नीति, 2001 के तहत एक नया दावा करने की छूट देते हुए इस आधार पर माफ कर दिया गया था कि यदि उसे सीआरपी के संबंध में 1995 की नीति के लाभ का हकदार नहीं पाया जाता है, तो वह लाभ का दावा करने में सक्षम होगा। झारखंड राज्य की 2001 की नीति के तहत।

दिये गये तर्क:

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यन्त ए. दवे और श्री गौरव बनर्जी ने हमें झारखंड राज्य की औद्योगिक नीति के साथ-साथ 12 जनवरी, 2002 की उपरोक्त अधिसूचना संख्या 65, 66 और 67 के बारे में बताया, और प्रस्तुत करा:

(i) औद्योगिक नीति नई इकाई के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों दोनों को कवर करती है और सीआरएम को एक नई इकाई माना गया है, उच्च न्यायालय ने मौजूदा इकाई के रूप में अपने एचआरएम को लाभ देने का निर्देश न देकर एक त्रुटि की है।

(ii) ऐसी औद्योगिक नीति और अधिसूचनाओं में 'कंपनी', 'निर्धारिती' या 'डीलर' का उल्लेख नहीं किया गया है, अपीलकर्ता की प्रत्येक इकाई इस तथ्य की परवाह किए बिना अधिसूचनाओं के लाभ की हकदार थी कि वे नई हैं या नहीं मौजूदा इकाइयाँ।

(iii) अधिसूचनाओं को नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक उदार संरचना दी जानी चाहिए। राज्य के उपलब्ध संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से सर्वोत्तम उपयोग करना और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देना। सीआरएम के पास वाणिज्यिक उत्पादन में जाकर अलग-अलग वस्तुओं के निर्माण के लिए एक अलग औद्योगिक लाइसेंस स्थापित किया गया है, जो एकाधिक नहीं हो सकता है, उच्च न्यायालय को अधिसूचना के खंड (6) पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए था क्योंकि यह एक मशीनरी प्रावधान था और, इस प्रकार, नीति का हिस्सा नहीं है।

2004 की एसएलपी (सी) संख्या 15419 में अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पुनित दत्त त्यागी ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने टिस्को को गैस की आपूर्ति की, जहां 2% की दर से बिक्री कर लगाया गया था। आधार यह है कि उसने पहले ही सेट-ऑफ और/या समायोजन के अनुदान के लिए आवेदन दायर कर दिया था, हालांकि कर की दर 3% थी। एक रिट याचिका दायर की गई थी क्योंकि झारखंड राज्य ने इस आधार पर रियायती फॉर्म जारी करना बंद कर दिया था कि उसने 3% की दर से कर जमा नहीं किया था। यह स्वीकार किया गया है कि इस अपील का भाग्य पहले मामले के नतीजे पर निर्भर करेगा।

प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुनील गुप्ता यह प्रस्तुत किया कि:

(ए) उपरोक्त सभी तीन अधिसूचनाएं दिनांक 12 जनवरी, 2002 को 1981 अधिनियम की धारा 22, 23 और 13(1)(बी) के तहत जारी की गई हैं; उसके संदर्भ में व्याख्या किए जाने की आवश्यकता है।

(बी) चूंकि 1981 अधिनियम के प्रावधान कं पनी को एक निर्धारिती के रूप में परिकल्पित करते हैं, छूट का दावा के वल उसके द्वारा ही किया जा सकता है, न कि उसकी प्रत्येक इकाई के संबंध में।

(सी) औद्योगिक नीति एक बहुआयामी नीति है, हालांकि इसके संदर्भ में अपीलकर्ता की एक विविध गतिविधि को एक नई इकाई के रूप में माना जाएगा, लेकिन वैधानिक योजना को ध्यान में रखते हुए और अधिसूचनाओं को उचित रूप से पढ़ने पर, इसे सही माना गया है उच्च न्यायालय ने कहा कि समायोजन और सेट-ऑफ का लाभ के वल एक डीलर/करदाता को ही उपलब्ध था क्योंकि राज्य अपनी संपूर्ण गतिविधियों और उससे संबंधित इकाइयों के संबंध में के वल अधिनियम की धारा 22 और 23 के संदर्भ में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता था।

(डी) अधिसूचना और औद्योगिक नीति के संदर्भ में प्रभावी तिथि मौजूदा और साथ ही नई इकाई दोनों के संबंध में समान होने के कारण, अपीलकर्ता ने अपनी कोल्ड रोल्लड मिल के संबंध में लाभ प्राप्त कर लिया है और समायोजन के माध्यम से किसी भी अन्य लाभ का हकदार नहीं है। या इसकी हॉट रोल्लड मिल के संबंध में बंद कर दिया गया जो एक मौजूदा इकाई थी,

(ई) औद्योगिक नीति में निहित पात्रता खंड को सख्त निर्माण प्राप्त होना चाहिए।

विधिक प्रावधान

1981 अधिनियम

धारा 2(ई) 'डीलर' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नकद के लिए, या स्थगित भुगतान के लिए, या कमीशन, पारिश्रमिक या मूल्यवान प्रतिफल के लिए सामान खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने या वितरित करने का व्यवसाय करता है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी कंपनी भी शामिल है जो ऐसा व्यवसाय करती है।

धारा 3 में कर के प्रभार का प्रावधान है जिसके अनुसार बिक्री या खरीद कर, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक डीलर द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसा कर उस डीलर को देय है जिस पर उप-धारा (1) का खंड (ए) 1981 अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बिहार के अंदर की गई बिक्री और खरीद पर लागू होता है और ऐसे डीलर द्वारा जिस पर उप-धारा (1) का खंड (बी) लागू होता है। उक्त उपधारा उक्त खंड (बी) में उल्लिखित दिन के तुरंत बाद की तारीख को या उससे की गई ऐसी बिक्री या खरीद पर लागू होती है। धारा 3 की उपधारा (9) में प्रावधान है कि कें द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के प्रावधान यह निर्धारित करने के लिए लागू होंगे कि कोई बिक्री बिहार के अंदर कब हुई मानी जाएगी।

धारा 7 छूट का प्रावधान करती है। धारा 7(3)(बी) राज्य सरकार को उचित अधिसूचना जारी करके किसी भी डीलर को बिक्री कर या खरीद कर के भुगतान से छूट देने का अधिकार देती है और ऐसी शर्तों या प्रतिबंधों के अधीन, जैसा भी मामला हो, अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी सामान की बिक्री या डीलरों के किसी भी वर्ग को या उसके द्वारा माल का वर्ग या विवरण।

धारा 12 कर की दर प्रदान करती है जबकि धारा 13 कु छ बिक्री या खरीद पर कर की विशेष दर प्रदान करती है। 1981 अधिनियम की धारा 13(1)(बी) इस प्रकार है:

"13. कुछ बिक्री या खरीद पर कर की विशेष दर.

(1) इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जो निर्धारित किए जा सकते हैं -

(बी) किसी पंजीकृत डीलर द्वारा बिक्री के लिए किसी भी सामान के निर्माण या प्रसंस्करण में सीधे उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की बिक्री या खरीद;"

धारा 14 डीलरों के पंजीकरण का प्रावधान करती है। धारा 16 एक डीलर द्वारा रिटर्न दाखिल करने का आदेश देती है। धारा 22 राज्य सरकार को बिहार राज्य में विनिर्माण इकाइयां चलाने वाले किसी भी डीलर, या वर्ग या विवरण के डीलरों को कच्चे माल की खरीद पर भुगतान किए गए कर की राशि को समायोजित करने की अनुमति देने का अधिकार देती है, जिसका उपयोग माल के निर्माण के लिए किया गया है। - राज्य के भीतर तैयार उत्पाद की बिक्री पर देय कर के विरुद्ध बिक्री की अनुमति ऐसे तरीके से दें जो अनुमति देने वाले आदेश में निर्धारित की गई हो, यदि वह संतुष्ट है कि औद्योगिक विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है।

धारा 23 इसी तरह राज्य सरकार को अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में कर के समायोजन या समायोजन की अनुमति देने का अधिकार देती है।

बिहार औद्योगिक नीति, 1995

बिहार राज्य द्वारा 1995 की औद्योगिक नीति राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से जारी की गई थी।

खंड 16.2 नई इकाइयों के लिए तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर से संबंधित है, जिसके अनुसार नई इकाइयों को, खरीद पर बिक्री कर की छूट/सेट-ऑफ के लाभ के अलावा, स्थगन या छूट चुनने का विकल्प भी होगा। तैयार माल की बिक्री पर बिक्री कर [बिहार बिक्री कर और केंद्रीय बिक्री कर दोनों] श्रेणी 'ए' के लिए 10 साल की अवधि के लिए और श्रेणी 'बी' जिलों के लिए 8 साल की अवधि के लिए इकाई के उत्पादन की तारीख से 100% की सीमा के साथ इसके द्वारा किए गए निश्चित निवेश का .

उक्त नीति का खंड 16.3 इस प्रकार है:

"16.3 विस्तार/विविधीकरण करने वाली इकाइयाँ - ऐसी इकाइयों को उनकी विस्तारित/विविध क्षमता और कच्चे माल की खरीद और तैयार माल पर बिक्री कर दोनों के लिए नई इकाइयों के समान उपचार दिया जाना चाहिए। ऐसे सभी प्रोत्साहन ऐसी इकाइयों के लिए स्वीकार्य होंगे जो जैसा कि अनुबंध में दिया गया है, विस्तार/विविधीकरण की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। वृद्धिशील उत्पादन का अर्थ है:

"वृद्धिशील उत्पादन का अर्थ मूल रूप से स्थापित क्षमता के 2/3 से अधिक वास्तविक उत्पादन या उस वर्ष से ठीक पहले 3 वर्षों में उच्चतम उत्पादन होगा जिसमें ऐसा विस्तार/विविधीकरण शुरू हुआ, दोनों में से जो भी अधिक हो"।

उक्त नीति 1 सितंबर, 1995 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

उक्त नीति के साथ संलग्न अनुलग्नक में उल्लिखित निम्नलिखित परिभाषाएँ जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, इस प्रकार पढ़ें:

"1. प्रभावी तिथि: प्रभावी तिथि का अर्थ है वह तिथि जब इस नीति के प्रावधान लागू होते हैं अर्थात् 1 सितंबर, 1995। यह नीति 1 सितंबर, 1995 से 5 वर्षों तक लागू रहेगी।

2. औद्योगिक इकाइयां/औद्योगिक संस्था: औद्योगिक इकाइयों/संस्था का अर्थ है निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित कोई भी इकाई/संस्था या विनिर्माण/प्रसंस्करण/सर्विसिंग उद्योग में लगी हुई:

(ए) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची के तहत सूचीबद्ध और समय-समय पर संशोधित उद्योग।

(बी) नीति वक्तव्य के पैरा 15 में सूचीबद्ध प्रमुख उद्योग।

(सी) निम्नलिखित बोर्डों/एजेंसियों के दायरे में आने वाले उद्योग:

(i) लघु उद्योग बोर्ड

(ii) कॉयर बोर्ड

(iii) सिल्क बोर्ड

(iv) अखिल भारतीय हथकरघा और हस्तशिल्प बोर्ड

(v) खादी और ग्रामोद्योग आयोग

(vi) औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार या जीओबी द्वारा गठित कोई अन्य एजेंसी....

3. मौजूदा औद्योगिक इकाई: मौजूदा औद्योगिक इकाई का मतलब एक औद्योगिक इकाई है जो प्रभावी तिथि से पहले उत्पादन में चली गई है।

4. नई औद्योगिक इकाई: नई औद्योगिक इकाई से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो 1 सितम्बर, 1995 से 31 अगस्त, 2000 के बीच उत्पादन में आई हो।

7. विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण; किसी मौजूदा औद्योगिक इकाई के विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण का मतलब संयंत्र और मशीनरी में अतिरिक्त निश्चित पूंजी निवेश होगा, जो मौजूदा इकाई में निश्चित पूंजी निवेश के अवमूल्यन मूल्य का 50% या उससे अधिक होगा, जिससे वृद्धिशील उत्पादन क्षमता होगी जो 50% से कम नहीं होगी। प्रारंभिक स्थापित क्षमता का। बिक्री कर प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाई को महाप्रबंधक को सूचना भेजनी चाहिए। लघु उद्योग के संबंध में जिला उद्योग केंद्र या प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और उपायुक्त वाणिज्यिक कर, जैसा भी मामला हो या मध्यम और बड़े उद्योगों के मामले में उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास और आयुक्त वाणिज्यिक कर। विस्तार/आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाना। ऐसी सूचना के साथ प्रस्तावित निवेश की विशिष्ट अवधि बताते हुए विस्तृत विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण प्रस्ताव संलग्न होना चाहिए।"

एसओ 479 दिनांक 2 दिसंबर, 1995 को बिहार राज्य द्वारा 1981 अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था, जिसके तहत उन नए लोगों को छूट दी गई थी। जिन औद्योगिक इकाइयों ने 1 सितंबर, 1995 से 31 अगस्त, 2000 तक उत्पादन शुरू किया था, उनके द्वारा उत्पादित तैयार माल की बिक्री पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के तहत, खंड (सी) इस प्रकार पढ़ता है:

"(सी) बिक्री कर से छूट के लिए, औद्योगिक इकाई का अर्थ ऐसी इकाई है जो बिक्री के लिए माल का निर्माण करती है और इसके प्रयोजन के लिए "निर्माण" का अर्थ वही होगा जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार) के भाग 1 में परिभाषित है 1981 का अधिनियम क्रमांक 5)

झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2001

इस स्तर पर हम झारखंड औद्योगिक नीति के कुछ प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं।

28.1 नई औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा इकाइयां जो पहले घोषित किसी भी अधिसूचना के तहत कर-स्थगन या कर मुक्त बिक्री की कर मुक्त खरीद की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठा रही हैं, उन्हें भुगतान किए गए झारखंड बिक्री कर के सेट-ऑफ का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाएगी। झारखंड राज्य के भीतर कच्चे माल की खरीद पर केवल बिक्री पर जेएसटी या सीएसटी देय बिक्री कर, राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर या खेप की बिक्री को छोड़कर, ऐसे कच्चे माल से बने तैयार उत्पादों की छह महीने की सीमा के अधीन या ऐसे कच्चे माल की खरीद की तारीख से उसी वित्तीय वर्ष में।

28.2 अंगीकृत बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 13(i)(बी) कच्चे माल और अन्य इनपुट की खरीद पर रियायती बिक्री कर की दो (2) दरों का प्रावधान करती है। ये फॉर्म IX के मुकाबले 2% और 3% हैं। उपरोक्तानुसार सेट-ऑफ के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए इन दोनों दरों को घटाकर 2% कर दिया जाएगा।"

परिभाषाएं

प्रभावी तिथि: प्रभावी तिथि का अर्थ है 15 नवंबर 2000, जिस तिथि से नए झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, वह तिथि जिस दिन इस नीति के प्रावधान लागू हुए, अर्थात् 15 नवंबर 2000। यह नीति 31 मार्च तक लागू रहेगी।, 2005.

"यूनिट" का अर्थ है बड़े और मध्यम पैमाने की कोई भी औद्योगिक परियोजना, जिसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) या किसी अन्य के तहत आशय पत्र, औद्योगिक लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, के रूप में अनुमोदन प्राप्त हो। अनुबंध-III में उद्योगों की नकारात्मक सूची में उल्लिखित उद्योगों को छोड़कर, केंद्र सरकार से औद्योगिक सहायता सचिवालय संदर्भ संख्या के रूप में पावती।"

स्पष्टीकरण:

(i) बिक्री कर से संबंधित रियायतों/लाभों के प्रयोजन के लिए, केवल ऐसी इकाइयों को औद्योगिक इकाइयां माना जाएगा जो राज्य के लिए माल विनिर्माण का व्यवसाय करती हैं।

(ii) यदि कोई संदेह उठता है कि क्या कोई इकाई/संस्था इस नीति के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक इकाई/औद्योगिक संस्था है या नहीं, तो उसे औद्योगिक विकास आयुक्त/सचिव उद्योग के साथ वित्त आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति को भेजा जाएगा। और वाणिज्यिक कर आयुक्त इसके सदस्य होंगे और समिति का निर्णय अंतिम होगा।

मौजूदा औद्योगिक इकाई: मौजूदा औद्योगिक इकाई का मतलब एक औद्योगिक इकाई है जो प्रभावी तिथि से पहले वाणिज्यिक उत्पादन में चली गई है।

नई औद्योगिक इकाई: नई औद्योगिक इकाई का मतलब एक औद्योगिक इकाई है जो 15 नवंबर, 2000 और 31 मार्च, 2005 के बीच वाणिज्यिक उत्पादन में आई है।"

अधिसूचनाएं:

हमने यहां पहले देखा है कि अधिसूचना संख्या एस.ओ.एस. 65 एवं 66 दिनांक 12 जनवरी 2002 को बिहार वित्त अधिनियम की धारा 22 एवं 23 के तहत क्रमशः निर्गत किया गया। जैसा कि वे समान शब्दों में हैं, हम केवल एसओ 65 का उल्लेख करेंगे, जिसके प्रासंगिक खंड इस प्रकार हैं:

"बिहार वित्त अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम 5, 1981) (अपनाया गया) की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारें नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा इकाइयों को निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन सेट-ऑफ की सुविधा प्रदान करती हैं:

1. इसकी अनुमति हेतु:—

औद्योगिक इकाई से तात्पर्य ऐसी इकाई से है जो —

"यूनिट" का अर्थ है बड़े और मध्यम पैमाने की कोई भी औद्योगिक परियोजना जिसे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) के तहत आशय पत्र, औद्योगिक लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, के रूप में अनुमोदन प्राप्त हो। अनुबंध — III में उद्योगों की नकारात्मक सूची में उल्लिखित उद्योगों को छोड़कर केन्द्र सरकार से औद्योगिक सहायता सचिवालय संदर्भ संख्या के रूप में एक पावती।"

स्पष्टीकरण:

(i) बिक्री कर से संबंधित रियायतों/लाभों के प्रयोजनों के लिए, केवल ऐसी इकाइयों को औद्योगिक इकाइयां माना जाएगा जो बिक्री के लिए सामान बनाने का व्यवसाय करती हैं।

(ii) यदि कोई संदेह उठता है कि क्या कोई इकाई/संस्था इस नीति के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक इकाई/औद्योगिक संस्था है या नहीं, तो उसे औद्योगिक विकास आयुक्त/सचिव उद्योग के साथ वित्त आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति को भेजा जाएगा। और वाणिज्यिक कर आयुक्त इसके सदस्य होंगे और समिति का निर्णय अंतिम होगा।

2. मौजूदा औद्योगिक इकाई — मौजूदा औद्योगिक इकाई का मतलब एक औद्योगिक इकाई है जो प्रभावी तिथि से पहले वाणिज्यिक उत्पादन में चली गई है।

3. नई औद्योगिक इकाई — नई औद्योगिक इकाई से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई से है जो 15 नवंबर 2000 और 31 मार्च, 2005 के बीच व्यावसायिक उत्पादन में आई हो।

4. उत्पादन की तारीख का अर्थ होगा:— किसी औद्योगिक इकाई के उत्पादन की शुरुआत की तारीख का मतलब वह तारीख होगा जिस दिन इकाई वास्तव में उस वस्तु का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करती है जिसके लिए इकाई पंजीकृत की गई है। लघु उद्योग इकाई की उत्पादन तिथि के संबंध में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। उत्पादन की तारीख में किसी भी विवाद की स्थिति में इस संबंध में निदेशक या उद्योग का निर्णय अंतिम होगा।

5. प्रभावी तिथि का अर्थ होगा – प्रभावी तिथि का अर्थ है 15 नवंबर 2000 जिस तिथि से नये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। इसी तिथि से इस नीति का प्रावधान प्रभावी किया जायेगा। यह नीति 31 मार्च, 2005 तक लागू रहेगी।

2. मौजूदा इकाइयों के लिए सेट-ऑफ की सुविधा केवल उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी जो प्रभावी तिथि से पहले घोषित किसी भी अधिसूचना के तहत कर के स्थगन या कर मुक्त खरीद या कर मुक्त बिक्री जैसी किसी सुविधा का लाभ नहीं उठा रही हैं।

3. इस सुविधा का लाभ केवल बिहार वित्त अधिनियम 1981 (अपनाया गया) की धारा 13 (1) (बी) के तहत झारखंड राज्य के भीतर खरीदे गए कच्चे माल (विनिर्माण गतिविधियों में प्रत्यक्ष उपयोग के लिए) पर भुगतान किए गए झारखंड बिक्री कर पर उपलब्ध होगा।) राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर या कं साइनमेंट बिक्री को छोड़कर बिक्री पर देय झारखंड बिक्री कर के विरुद्ध।

4. यह सेट-ऑफ ऐसे कच्चे माल से निर्मित तैयार उत्पादों पर उपलब्ध होगा, जो ऐसे कच्चे माल के खरीदार की तारीख से छह महीने या उसी वित्तीय वर्ष के भीतर खरीद के अधीन होगा।

5. इस अधिसूचना के तहत सेट ऑफ का लाभ केवल उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा, जिन्हें उस क्षेत्र के सर्किल प्रभारी (वाणिज्यिक कर) द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

6(ए) प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा दाखिल मासिक/त्रैमासिक रिटर्न का सत्यापन संबंधित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक इकाई को रिटर्न के साथ खरीद चालान की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी। रिटर्न और खरीद चालान के सत्यापन के बाद, वाणिज्यिक कर अधिकारी औद्योगिक इकाई को सूचित करेंगे कि वे अगले रिटर्न के खिलाफ सेट ऑफ की कितनी राशि समायोजित करेंगे।

(बी) सक्षम वाणिज्यिक कर अधिकारी फाइल के सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर औद्योगिक इकाई को लिखित रूप से सूचित करेंगे कि उनके द्वारा कितनी कम या अधिक राशि का सेट ऑफ किया गया है और वे कितनी राशि का सेट ऑफ अगली रिटर्न में समायोजित करेंगे।

(सी) प्रत्येक औद्योगिक इकाई अपने मासिक/त्रैमासिक रिटर्न के साथ निम्नलिखित विवरण दो प्रतियों में एक घोषणा के साथ दाखिल करेगी जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि खरीद चालान में दिखाई गई वस्तुएं उनके द्वारा खरीदी गई हैं और उन्हें सीधे खरीदा गया है। बिक्री के लिए उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है।"

स्वीकृत तथ्य:

अपीलकर्ता ने नए औद्योगिक लाइसेंस के संदर्भ में अपनी कोल्ड रोलड मिल शुरू की। इसे एकीकृत इस्पात संयंत्र में कोल्ड रोलड/गैल्वनाइज्ड/कोटेड/नालीदार/पेंटेड/वार्निशड स्टील शीट/स्ट्रिप्स/कॉइल्स के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा 9.11.1998 को एक नया औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था। प्रस्तावित क्षमता 1200000.00 टन। इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, जैसा कि यहां पहले बताया गया है, वह बिहार औद्योगिक नीति के अनुसार कच्चे माल की खरीद पर भुगतान किए गए कर से मुजरा और/या समायोजन के लाभ का हकदार बन गया, जो 5 वर्षों के लिए लागू था। 1 सितंबर 1995 से

झारखंड सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति 25.8.2001 को घोषित की है, जिसकी प्रभावी तिथि 15 नवंबर रखी गयी व उक्त नीति 15 नवंबर, 2000 से लागू की गई थी। अपीलकर्ता की कोल्ड रोलड मिल भी इस प्रकार,

हॉट रोल्लड मिल, झारखंड राज्य नीति के अर्थ के तहत मौजूदा इकाइयाँ हैं, जिसके अनुसार यदि एक नीति के तहत लाभ दिया जाता है, तो कोई अन्य लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

औद्योगिक नीति – केवल नई इकाइयों तक ही सीमित:

झारखण्ड राज्य की औद्योगिक नीति बहुआयामी है। इसमें लगभग 20 रणनीतियाँ निर्धारित की गई हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहयोग फ्रेमवर्क फॉर इंडिया रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। खनन और खनिज आधार उद्योग जोर क्षेत्रों की पहचान में सबसे आगे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, "वाणिज्यिक कर सुधार" शीर्षक के तहत, खंड 28.1 नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा यहां इकाइयों दोनों को कर लाभ देने का प्रयास करता है। यहा तक कि बिहार वित्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी 12 जनवरी, 2002 की अधिसूचना के तहत, अंतर-राज्य और राज्य के भीतर बिक्री के संबंध में सेट तेल की सुविधाएं नई औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों को भी दी जाती हैं। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता, एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में, 1981 अधिनियम के अर्थ के तहत एक निर्धारिती या डीलर है; और, इस प्रकार, उसे न केवल स्वयं को इस रूप में पंजीकृत कराना आवश्यक था, बल्कि उसके संबंध में एक एकल रिटर्न दाखिल करना भी आवश्यक था, जिसके मूल्यांकन का एक आदेश हो सकता है; लेकिन हमारी राय में, यह किसी निर्धारिती को उसकी नई औद्योगिक इकाइयों और उसकी मौजूदा इकाइयों दोनों के संबंध में अलग-अलग कर छूट और/या अन्य कर लाभ का दावा करने से नहीं रोकता है। औद्योगिक नीति इसकी अनुमति देती है।

उच्च न्यायालय का निर्णय:

उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय में कहा कि कोल्ड रोलिंग मिल कंपनी द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र इकाई है। कंपनी ने कोल्ड रोलिंग मिल के अलावा अपनी अन्य इकाइयों के संबंध में औद्योगिक नीति, 2001 का लाभ मांगा, हालांकि सभी मौजूदा इकाइयां 15 नवंबर, 2000 से पहले उत्पादन में चली गई थीं।

"प्रोजेक्ट" और "यूनिट" के शब्दकोश अर्थ का उल्लेख करते हुए, यह राय दी गई थी:

"So any industrial enterprise that is carefully planned and designed to achieve a particular aim will be an industrial project. Clause 6 of the Notification, SO 65 relates to the verification of the returns filed by an industrial unit. Sub-clause (c) thereof seems to suggest that an industrial unit contemplated therein is a unit which files monthly/quarterly returns, for, it provides that each of the industrial units along with its monthly/quarterly returns, will file certain documents in duplicate regarding purchases made and that they have been directly used for production of the products for sale. It can be said that clause 6 of the policy tends to support the submission of the learned counsel for the Department that the industrial unit referred to in the notification is the assessee or in this case the company as a whole and not each of its individual lines or components." "No doubt, under the Industrial Policy, 1995, even a diversification was treated as a new industry for the purpose of benefit under that Policy. But here, there is no such fiction. Here, what is contemplated is a new industry that has come into existence or an existing industry which has not claimed benefit under any of the earlier notifications granting benefit pursuant to the Industrial Policy. Merely because a unit is defined as meaning any industrial project, it is not possible

without anything more, to accept the argument that the Cold Rolling Mill of the Company should be treated as a separate industrial project and the rest of the production units of the company should be treated as different individual industrial projects within the meaning of the Notification, SO No. 65."

It was further held :

"Different lines of production or manufacture can in a given circumstance be an industrial project, but if the different lines are for achieving creation of the ultimate marketable product of the Company, (the different products may themselves be used as raw materials for the ultimate product), then, can it be said that each branch or line of production is an independent industrial unit?"

अवधारित:

कानून के प्रावधानों को उसके पाठ और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एक अर्थ दिया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, यह मानना संभव है कि अपीलकर्ता की कोल्ड रोलिंग मिल और उसकी हॉट रोलिंग मिल को अलग-अलग औद्योगिक परियोजनाओं के रूप में माना जाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति मौजूद है या एक ही या अलग-अलग अधिसूचनाओं के तहत अलग-अलग इकाइयों को अलग-अलग वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, तो एक निर्धारिती के लिए अलग-अलग शीर्षों के तहत अलग-अलग छूट का दावा करना भी संभव हो सकता है। केवल इसलिए कि अपीलकर्ता एक डीलर है, यह अपने आप में उसे राजकोषीय लाभ से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, यदि वह अन्यथा इसका हकदार है।

हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि अभिव्यक्ति "औद्योगिक इकाई" या "मौजूदा इकाई" का उपयोग सामान्य अर्थ में उद्योग को उसकी संपूर्णता में इंगित करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि उसके प्रत्येक घटक को।

इस तथ्य के बावजूद कि 1981 अधिनियम की धारा 22, 23 और साथ ही 13(1)(बी) एक डीलर को संदर्भित करती है और धारा 14 उसकी गतिविधियों के संबंध में रिटर्न दाखिल करने को अनिवार्य करने वाले डीलर के पंजीकरण को संदर्भित करती है, ऐसा नहीं होगा इसका मतलब यह है कि राज्य एक ही निर्धारिती के विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाली विभिन्न इकाइयों को समान या अलग-अलग लाभ नहीं दे सकता है। राज्य के पास न केवल छूट देने की शक्ति है, बल्कि किसी वर्ग या वस्तुओं के विवरण से संबंधित ऐसे अनुदान को निर्देशित करने की भी शक्ति है। यदि राज्य के पास अधिसूचना जारी करने की शक्ति है, तो उसे उसमें संशोधन करने, बदलाव करने या रद्द करने की भी शक्ति है और अवसर आने पर समय-समय पर ऐसी शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है।

हालाँकि, विचाराधीन अधिसूचनाएँ छूट अधिसूचनाएँ नहीं हैं। वे कर के मुजरा या समायोजन का प्रावधान करते हैं। 1981 अधिनियम के अनुसार एक डीलर पर कर लगाया जाना चाहिए, लेकिन उसे कुछ वस्तुओं के संबंध में छूट दी जा सकती है या किसी नए या मौजूदा उद्योग में निर्मित उसके विशेष उत्पादों के संबंध में समायोजन या समायोजन किया जा सकता है। एक या अधिक उत्पादों के संबंध में या एक या अधिक इकाइयों के संबंध में धारा 22 या 23 के तहत अधिसूचना जारी की जा सकती है। हालाँकि, कोई डीलर यूनिट-वार सेट-ऑफ के लाभ का हकदार होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अधिसूचनाएँ किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती हैं। कानून

की अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सीमाएं या प्रतिबंध निर्धारित करे जब कोई न हो या इसके विपरीत।

अधिसूचना उन इकाइयों पर विचार करती है जो बिक्री के लिए उत्पाद बनाती हैं। खंड 1 में संलग्न स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से प्रदान करता है "बिक्री कर से संबंधित रियायतों/लाभों के प्रयोजनों के लिए, केवल ऐसी इकाइयों को औद्योगिक इकाइयां माना जाएगा जो बिक्री के लिए माल के निर्माण का व्यवसाय करती हैं"। अधिसूचना के खंड 2 में 'मौजूदा औद्योगिक इकाई' को परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "एक औद्योगिक इकाई जो प्रभावी तिथि से पहले वाणिज्यिक उत्पादन में आ गई है" जबकि खंड 3 के संदर्भ में 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है "एक औद्योगिक इकाई जो वाणिज्यिक उत्पादन में आ गई है 15 नवंबर, 2000 और 31 मार्च, 2005 के बीच खंड 4 में निहित "उत्पादन की तारीख" का अर्थ आइटम के वाणिज्यिक उत्पादन की वास्तविक शुरुआत को संदर्भित करता है और जिसके लिए इसे पंजीकृत किया गया है। खंड 5 एक प्रतिबंध लगाता है जबकि मौजूदा तारीख को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मौजूदा इकाइयों के लिए सेट ऑफ की सुविधा केवल उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी जो प्रभावी तिथि से पहले घोषित किसी भी अधिसूचना के तहत कर कटौती या कर मुक्त खरीद या कर मुक्त बिक्री जैसी किसी सुविधा का लाभ नहीं उठा रही हैं। .

अधिसूचना दिनांक 12 जनवरी, 2002, हालांकि कर लाभ को नई इकाइयों के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों तक भी बढ़ाती है, लेकिन इसमें इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि लाभ का अनुदान मौजूदा इकाइयों को अलग करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, भले ही वे उत्पादन कर रहे हों समान लेकिन तकनीकी रूप से भिन्न उत्पाद। निर्मित वस्तु बिक्री योग्य स्टील है। सीआरएम और एचआरएम से निर्मित स्टील की गुणवत्ता में अंतर हो सकता है, लेकिन झारखंड औद्योगिक नीति के लागू होने की तिथि और 1981 अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार सीआरएम और एचआरएम दोनों मौजूदा इकाइयां थीं, उनमें से उसके प्रत्येक को लाभ नहीं मिल सकता है।

श्री गुप्ता ने अपने इस तर्क के समर्थन में कि निर्धारिती की सभी इकाइयों को उनकी संपूर्णता में माना जाना चाहिए, इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय का हवाला दिया। आयुक्त, व्यापार कर, उ० प्र० बनाम डीएसएम उद्योग समूह, उस मामले में निर्धारिती के पास अलग-अलग इकाइयाँ थीं। इसने औद्योगिक नीति और यूपी व्यापार कर अधिनियम के तहत जारी छूट अधिसूचनाओं के संदर्भ में 50 करोड़ या उससे अधिक का निश्चित पूंजी निवेश करके केवल कुछ इकाइयों का विस्तार किया। हालाँकि, राज्य ने यह तर्क उठाया कि ऐसी राशि 50 करोड़ रुपये कंपनी की प्रत्येक इकाई पर खर्च किये जाने चाहिए न कि पूरे औद्योगिक उपक्रम पर। दिनांक 21.2.1997 की अधिसूचना के प्रावधानों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4-ए(6) के प्रावधानों ने इस तर्क को उचित नहीं ठहराया कि छूट देने के उद्देश्य से, प्रत्येक इकाई को यह बताते हुए एक अलग इकाई माना जाएगा:

"14. It is an undisputed fact that the principal place of business of the Company is Dhampur, District Bijnore. The exemption claimed by the respondent, under the notification dated 21.2-1997, was for expansion, modernisation or diversification. What is a "unit" for purposes of expansion, diversification or modernization has been defined in Section 4-A(6) Explanation (5), which has been set out hereinabove. Under this, "Unit" means an "industrial undertaking" of a dealer who is not a defaulter and who meets the requirements as set out in clause (b) thereof. The dealer, indisputably, is the respondent Company. The industrial undertaking of the

respondent is the Company. It is the Company which will be paying the tax and which will get the benefit of exemption, if entitled to it."

यह अदालत एक विपरीत स्थिति से निपट रही थी। इसने कानून के सिद्धांत को स्वीकार किया कि अधिसूचनाओं की व्याख्या वस्तु को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, और इसका उद्देश्य निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहित करना है, यह माना गया कि एक उदार व्याख्या जो अधिसूचना के उद्देश्य को आगे बढ़ाती है, को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। न्यायालय ने 'उद्देश्यपूर्ण व्याख्या' के सिद्धांत का सहारा लेते हुए कहा:

"25 ~.As we have already seen, Section 4-A defined the term "unit" to mean an industrial undertaking, which has undertaken expansion, modernization and diversification. Even under the General Clauses Act, where the context so requires the singular can include the plural. A plain reading of the notification shows that for "expansion, modernization and diversification" it is the industrial undertaking which is considered to be the "unit". This is also clear from the fact that in the notification wherever the words "expansion, modernization or diversification" are used, there are no qualifying words to the effect "in any one unit". In none of the clauses is there any requirement of the investment being in one unit of the industrial undertaking. Words to the effect "in a particular unit" or "in one unit" are missing. To accept Mr. Sunil Gupta's submission would require adding words to a notification which the Government purposely omitted to add."

It was further observed :

"26 Even otherwise, the purpose of notification being to encourage increased production and to give benefit to industries which have invested rupees fifty crores or more in the State and whose production has thus increased, an interpretation must be given which would extend benefit to such industries. There would be no purpose in denying an industry which has invested rupees fifty crores or more and whose production in the State has as a result increased, the benefit of the exemption granted by this notification merely because the whole of the investment is not in any particular unit. Thus even where the investment is made by the Company in more than one unit, so long as the total investment is rupees fifty crores or more, the benefit of the notification would be available. Such benefit would then be distributed in the manner set out in the schedule depending on where a unit in which expansion, diversification or modernization has taken place, is situated" "

इसलिए, उक्त निर्णय एक अलग तथ्य स्थिति में दिया गया था।

पात्रता खंड, यह अच्छी तरह से तय है, छूट अधिसूचना के संबंध में एक सख्त अर्थ दिया जाना चाहिए।

सीमा शुल्क कलेक्टर, बेंगलोर और अन्य बनाम मेस्ट्रो मोटर्स लिमिटेड और अन्य, [2004] 10 SCALE 253 में इस न्यायालय ने कहा:

"It is settled law that to avail the benefit of a notification a party must comply with all the conditions of the Notification. Further, a Notification has to be interpreted in terms of its language."

सिद्धांत यह है कि राजकोषीय कानून का प्रावधान अस्पष्ट होने की स्थिति में ऐसे निर्माण जो निर्धारिती के पक्ष में हैं, को अपनाया जा सकता है, लेकिन छूट अधिसूचना के निर्माण के लिए इसका कोई आवेदन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामले में यह निर्धारिती को दिखाना है कि वह छूट के दायरे में आता है। [देखें *नोवोपैन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम कलेक्टर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, हैदराबाद*, [1994] Supp 3 SCC 606

राज्य स्तरीय समिति एवं अन्य बनाम. एमएस मोगार्डिशैमर इंडिया लिमिटेड, [1996] 1 sec 108 में बड़ी संख्या में निर्णयों का जिक्र करते हुए, इस न्यायालय ने कहा:

"10 It must be remembered that no unit has a right to claim exemption from tax as a matter of right. His right is only insofar as it is provided by Section 4-A. While providing for exemption, the Legislature has hedged it with certain conditions. It is not open to the Court to ignore those conditions and extend the exemption."

श्री बनर्जी ने इस प्रस्ताव के लिए बड़ी संख्या में निर्णयों पर भरोसा किया है कि ऐसी अधिसूचनाओं को एक उदार निर्माण प्राप्त होना चाहिए।

अब हम उन पर ध्यान दे सकते हैं।

टेक्सटाइल मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल, [1977] 2 SCC 368 में इस न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 15 सी की व्याख्या करते हुए कहा:

'20. Section 15C partially exempts from tax a new industrial unit which is separate physically from the old one, the capital of which and the profits thereon are ascertainable. There is no difficulty to hold that Section 15C is applicable to an absolutely new undertaking for the first time started by an assessee. The cases which gave rise to controversy are those where the old business is being carried on by the assessee and a new activity is launched by him by establishing, new plants and machinery by investing substantial funds. The new activity may produce the same commodities of the old business or it may produce some other distinct marketable products, even commodities which may feed the old business. These products may be consumed by the assessee in his old business or may be sold in the open market. One thing is certain that the new undertaking must be an integrated unit by itself wherein articles are produced and at least a minimum of ten persons with the aid of power and a minimum of twenty persons without the aid of power have been employed. Such a new industrially recognisable unit of an assessee cannot be said to be reconstruction of his old business since there is no transfer on any assets of the old business to the new undertaking which takes place when there is reconstruction of the old business. For the purpose of Section 15C the industrial units set up must be new in the sense that new plants and machinery are erected for producing either the same commodities

or some distinct commodities. In order to deny the benefit of Section 15C the new undertaking must be formed by reconstruction of the old business. Now in the instant case there is no formation of any industrial undertaking .out of the existing business since that can take place only when the assets of the old business are transferred substantially to the new undertaking: There is no such transfer of assets in the two cases with which we are concerned."

इसलिए, उक्त निर्णय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 सी की व्याख्या और उसमें प्राप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर दिया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 15 सी, 1981 अधिनियम की धारा 13(2)(बी) के प्रावधान के अनुरूप नहीं है।

नगर आयुक्त, चिंचवड़ न्यू टाउनशिप नगर परिषद बनाम एमएस सेंचुरी एंका लिमिटेड, [1995] 6 SCC 152 में इस न्यायालय द्वारा इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला गया कि यूनिट नंबर 2 की स्थापना मौजूदा व्यवसाय के पर्याप्त विस्तार को प्रभावित करने के लिए की गई थी।

आयकर आयुक्त, अमृतसर बनाम स्ट्रॉबोर्ड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, [1989] Supp 2 SCC 523 में यह माना गया कि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्ति 'कागज और लुगदी' में पेपरबोर्ड और स्ट्रॉबोर्ड शामिल हैं। उक्त निर्णय का पालन *बजाज टेम्पो लिमिटेड, बॉम्बे बनाम आयकर आयुक्त, बॉम्बे सिटी- II, बॉम्बे*, [1992] 3 SCC 78 और *बिक्री कर आयुक्त बनाम औद्योगिक कोयला उद्यम*, [1999] 2 SCC 607 में किया गया है, .

यह निर्णय फिर से वहां प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति में दिए गए थे और यहां उनका कोई अनुप्रयोग नहीं है।

एम/एस पप्पू मिठाई और बिस्कुट बनाम आयुक्त व्यापार कर उग्र लखनऊ, [1998] 7 SCC 228 में न्यायालय ने देखा कि यद्यपि राज्य ने नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या मौजूदा औद्योगिक इकाइयों द्वारा विस्तार/ विविधीकरण या आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करके राज्य के भीतर औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाने की दृष्टि से बिक्री कर के भुगतान से छूट की घोषणा की, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। उस लाभ को ऐसे सभी उद्योगों तक पहुँचाएँ। इसलिए, यह निर्णय श्री बनर्जी की अधीनता के विपरीत है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम एमपीवी और इंजी. उद्योग, [2003] 5 SCC 333 में इस न्यायालय की एक खंडपीठ, जिसमें हममें से एक (बीपी सिंह, जे.) सदस्य हैं, ने स्पष्ट रूप से कहा है:

"I IIn dealing with the submission the Tribunal noticed the decision of this Court in CCE v. Parle Exports (P) Ltd wherein this Court held that exemption should be strictly construed although the exemption clause in the notification may be construed liberally. In other words, eligibility criteria should be construed strictly but a liberal approach may be adopted in construing other conditions" "

हम इस मामले में पात्रता मानदंड को लेकर चिंतित हैं।

यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां अपीलकर्ता ने राज्य द्वारा उससे किए गए वादे के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति बदल दी है। इसलिए, वचनबंधन का सिद्धांत लागू नहीं है। यह ऐसा मामला भी नहीं है

जहां वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू किया जा सके । [देखें *हीरा टिक्कू बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य*, [2004] 6 SCC 765]

हालाँकि, हम इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं कि वचनबंधन का सिद्धांत वहां लागू होगा जहां राज्य द्वारा किसी वस्तु को कर योग्य वस्तु के रूप में छूट देने या समाप्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिनिधित्व किया गया है। हालाँकि, ऐसा वादा उन व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जिनके पास प्रतिनिधित्व को लागू करने की शक्ति है।

अपीलकर्ता ने इसके अलावा कानूनी स्थिति को भी उसी तरह से समझा था जैसा कि उसके 11 फरवरी, 2002 के पत्र से पता चलता है जिसमें यह तर्क दिया गया था कि यह 15 नवंबर, 2000 से पहले एक मौजूदा उद्योग है और आगे कहा गया है:

"Tisco is, thus, eligible to avail benefits of set off of sales tax paid on purchases of raw materials within the state of Jharkhand from the admitted sales tax payable on sales of products within the state of Jharkhand as well as on sales in course of inter state sales Ex State of Jharkhand in terms of Notificati<;m Nos. S.O. 65 & 66 both dated 12.01.2002

We would, therefore, request you to kindly issue to us the Eligibility Certificates w .e.f. 15.11.2000 as required under these Notifications to enable us to avail the benefit of 'set off of sales tax which we are entitled to."

इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चूंकि हॉट रोलड मिल और कोल्ड रोलड मिल दोनों मौजूदा इकाइयाँ हैं, और उनमें से एक को एक अलग नीति के तहत लाभ प्राप्त हुआ है,

अपीलकर्ता दिनांकित अधिसूचनाओं के संदर्भ में किसी और राहत के हकदार नहीं हैं। 12 जनवरी, 2002.

उपरोक्त कारणों से, ये अपीलें खारिज की जाती हैं। कोई व्यय नहीं.

आर.पी.

अपील खारिज

"This is word to word true vetting/validation of the judgment done by Vivek Singh Rana, Civil Judge(Junior Division), Haridwar"